दीप नारायण सिंह, क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, पटना में दिनांक–29.06.2022 को आयोजित विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम सचिव सहकारिता विभाग, बिहार ने अपनी संक्षिप्त उपस्थिति के प्रारंभ में जिला सहकारिता पदाधिकारी, कटिहार, अररिया, नालन्दा एवं पूर्णिया से क्षेत्रीय स्तर पर उनकी अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दिये गये निदेश से अन्य उपस्थित पदाधिकारियों को अवगत कराने का निदेश दिया गया। परंतु संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होने के कारण उनके द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए संबंधित पदाधिकारी से कार्य के प्रति उदासीनता के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया। तत्पश्चात् उनके द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को निम्नलिखित निदेश दिये गये :–

- दिनांक–14 एवं 15 अगस्त 2022 को अभियान के तौर पर राज्य के सभी पैक्स एवं व्यापार मंडलों में आभ सभा आयोजित कर अंशधारक सदस्यों के बीच में लाभांश वितरण किया जाय। इस कार्य में मुख्यालय के पदाधिकारी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को आवश्यक मार्गदर्शन करेंगे। (अनुपालन जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी एवं संबंधित प्रशाखा, मुख्यालय)
- सचिव सहकारिता ने क्षेत्रीय पदाधिकारियों को अंकेक्षण शुल्क एवं चक्रीय पूंजी की वसूली तत्परता से करने का निदेश दिया।
- धान अधिप्राप्ति के संदर्भ में अवशेष CMR को प्राथमिकता के आधार पर अत्यन्त शीघ्र जमा करने का निदेश दिया।

तत्पश्चात निबंधक, सहयोग समितियाँ ने कार्यावली के अनुसार विभिन्न जिलों की समीक्षा की जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

1. पैक्सों में लेखा संधारण एवं अंकेक्षण।
   - निदेश दिया गया कि लेखा संधारण कार्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों एवं कार्यपालक सहायकों के सहयोग से किया जायेगा, जिसमें संबंधित अंकेक्षक आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन करेंगे। (अनुपालन–जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला अंकेक्षण पदाधिकारी)।
2. निरीक्षण अभियान में गंभीर अनियमितताओं के संदर्भ में की गई कार्रवाई।
   - निदेश दिया गया कि सभी संयुक्त निबंधक अपने प्रमंडल अंतर्गत जिलों के निरीक्षित पैक्सों में पाई गई अनियमितताओं के संदर्भ में विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए मुख्यालय को 15 दिनों के अंदर सम्यक प्रतिवेदन प्रेषित करेंगे। (अनुपालन–सभी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ)
3. उपयोगिता प्रमाण पत्र की योजनावार समीक्षा –
   - उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा के क्रम में कुल 32035.65 लाख रूपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र लम्बित पाया गया। इस माह में 118 लाख रूपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है। 05 जिले जिनमें सबसे ज्यादा लम्बित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की राशि सन्निहित है :–

     औरंगाबाद–21.68 करोड़, बेतिया –20.18 करोड़, दरभंगा –14.44 करोड़, बेगूसराय –14.32 करोड़, मोतिहारी–14.13 करोड।
   - निदेश दिया गया कि जिन जिलों से उपयोगिता प्रमाण पत्र सही जानकारी के अभाव में नहीं प्राप्त हो रहा है वहां के कर्मियों को दिनांक 01.07.2022 को मुख्यालय स्तर पर बुलाकर प्रशिक्षित किया जाय। (अनुपालन प्रशाखा 03 निबंधक प्रभाग)
   - समीक्षा के क्रम में कुल 11459.85 लाख रूपये का डी0सी0 विपत्र समायोजन हेतु लम्बित पाया गया। 05 जिले जिनमें सबसे ज्यादा लम्बित डी0सी0 विपत्रों के राशि सन्निहित है, निम्नवत है :–

रोहतास–11.69 करोड़, कैमूर – 6.96 करोड़ , गया – 6.70 करोड़, पटना –6.27 करोड़, समस्तीपुर – 5.84 करोड़

- निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं D.C. वितरण में प्रगति परिलक्षित होनी चाहिए तथा पर्याप्त प्रगति नहीं करने वाले जिलों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। (अनुपालन सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी)

4. क्षेत्रीय स्तर पर समन्वय–सह–समीक्षा बैठक का आयोजन–

- निबंधक, सहयोग समितियाँ ने निदेश दिया कि मुख्यालय के द्वारा प्रेषित पत्रांक 4380 दिनांक 07.06.2022 के आलोक में प्रत्येक माह के 4वी तिथि को सहायक निबंधक एवं जिला अंकेक्षण पदाधिकारी द्वारा समीक्षा बैठक आयोजित की जायेगी। महीने की 8वी तिथि को जिला सहकारिता पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया जाना है। संयुक्त निबंधक की अध्यक्षता में प्रमंडलीय समीक्षात्मक बैठक महीने की 12वी तिथि को आयोजित किया जाना है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि कार्यावली के अनुसार निश्चित तिथि को विभिन्न स्तरों पर समीक्षा एवं समन्वय बैठक आयोजित की जाय तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं संयुक्त निबंधक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक की कार्यवाही मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाय। (अनुपालन–सभी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी)

5. मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना –

- इस योजना के अंतर्गत कुल 434.85 करोड रूपये समितियों को कृषि संयंत्र क्रय करने हेतु उपलब्ध कराया गया है। जिसमें से 50 प्रतिशत राशि संयंत्र क्रय करने के एक वर्ष के बाद वसूलनीय है। निदेश दिया गया कि जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों की समीक्षा के दौरान इस योजना के क्रियान्वयन यथा पंजियों का संधारण, केन्द्रों का वास्तविक उपयोग, प्राप्त राजस्व तथा ऋण वापसी की सघन समीक्षा करेंगे। योजना के शर्त्तो के अनुरूप प्रबंध निदेशक ऋण वसूली के लिए जिम्मेदार है। (अनुपालन–सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं सभी प्रबंध निदेशक/शाखा प्रबंधक, बिहार राज्य सहाकरी बैंक की संबंधित शाखा)
- सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी Inventory App पर कृषि उपकरणों की प्रविष्टि करेंगे तथा कृषि उपकरण बैंक का संबंधित पैक्स के अंतर्गत व्यापक प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे। अभी तक कुल 5526 कृषि संयंत्र अपलोड किया जा चुका है, शेष उपकरण की प्रविष्टि प्राथमिकता के आधार पर करने का निदेश दिया गया। (अनुपालन–सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी)
- संयुक्त निबंधक की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा निर्धारित दर के संबंध में मुख्यालय द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा के हित में दर में संशोधन कर सकते है। दर का निर्धारण प्रति घंटा डीजल सहित के आधार पर किया जायेगा। इस संबंध में कार्रवाई करते हुए पैक्स क्षेत्र के विभिन्न सार्वजनिक भवन के दीवार पर निर्धारित दर को प्रदर्शित किया जायेगा। इस संबंध में विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये मॉडल प्रारूप का प्रदर्शन 15 जुलाई 2022 तक करने का निदेश दिया गया। (अनुपालन–सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी)

6. ऋण वसूली की समीक्षा –

- गोदाम निर्माण में दिये गये राशि को चक्रीय पूंजी के रूप में वसूली की समीक्षा के क्रम में कुल मांग 19056.02 लाख रूपये के विरूद्ध 576.64 लाख रूपये की वसूली की पायी गई। जो कुल राशि का 3.03 प्रतिशत है। शेष वसूलनीय राशि 18479.38 लाख रूपये की वसूली हेतु निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा कड़े निर्देश दिये गये। इस संबंध में निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा Demand and collection का Master Data तैयार करने का निदेश दिया गया। चक्रीय पूंजी की वसूली से संबंधित पंजी का संधारण जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी एवं बैक स्तर पर करने का निदेश दिया गया, साथ ही मुख्यालय स्तर पर अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया। समीक्षा के क्रम में सहरसा, अरवल, मधेपुरा एवं पटना का प्रर्दशन संतोषजनक पाया गया परन्तु कैमूर, नवादा, शेखपुरा, गोपालगंज, भागलपुर, मुंगेर, खगडिया, सीतामढी, कटिहार, शिवहर, बेगूसराय एवं लखीसराय जिला का वसूली प्रतिवेदन शून्य पाया गया। जिसके संबंध में खेद व्यक्त करते हुए अभियान चलाकर वसूली करने का निदेश दिया गया। (अनुपालन–सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी)

7. अंकेक्षण की प्रगति एवं अंकेक्षण शुल्क की वसूली –

- अंकेक्षण प्रगति के समीक्षा के क्रम में लखीसराय, कैमूर, जहानाबाद, किशनगंज एवं अरवल का प्रगति संतोषजनक पाया गया। निबंधक, सहयोग समितिया द्वारा जिला अंकेक्षण पदाधिकारी मधुबनी, पश्चिम चम्पारण, समस्तीपुर, गया एवं पूर्वी चम्पारण से संतोषजनक अंकेक्षण प्रगति न होने के संबंध में पृच्छा की गई । जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा बताया गया कि अंकेक्षकों की संख्या कम है जिसके कारण अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा आनुपातिक रूप से अंकेक्षण पदाधिकारियों की पदस्थापना का आश्वासन दिया गया। (अनुपालन–सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी)
- अंकेक्षण शुल्क से संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में कुल बकाया अंकेक्षण शुल्क की राशि 1873.86 लाख पाया गया जिसके विरूद्ध 64.69 लाख की वसूली की गई। समीक्षा के क्रम में कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, शिवहर एवं सारण का प्रगति संतोषजनक पाया गया परन्तु गया, बक्सर, पूर्वी चम्पारण, अररिया एवं भागलपुर का वसूली प्रतिवेदन संतोषजनक नहीं पाया गया। इस संबंध में निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा निदेश दिया गया कि जुलाई महीने में भोजपुर, रोहतास, कैमूर एवं बक्सर को अंकेक्षण शुल्क वसूली का लक्ष्य 66 प्रतिशत एवं शेष जिलों को 60 प्रतिशत दिया गया। (अनुपालन–सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी)
- समिति के अंकेक्षण प्रतिवेदन के वाचन के क्रम में भागलपुर, पूर्वी चम्पारण, कटिहार एवं पूर्णिया में लगभग 1.66 करोड़ रू॰ का वित्तीय अनियमितता परिलक्षित हुआ है। इसके विरूद्ध 15 दिनों के अंदर अधिभार की कारवाई करने का निदेश दिया गया। निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी को अपने स्थापना अंतर्गत पदस्थापित अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी के सहयोग से प्रति माह कम से कम 10 पैक्सों का वाचन कार्य करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। (अनुपालन–सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी)

8. सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को प्रखंड स्तर पर कार्यालय व्यवस्था की समीक्षा –

- जिला सहकारिता पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी से अनुरोध कर सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों के कार्यालय की समुचित व्यवस्था की जाय। कार्यालय में संबंधित पदाधिकारियों का नाम एवं मोबाईल नं0 आवश्यक रूप से प्रदर्शित होना चाहिए। (अनुपालन–सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी)

9. गोदाम निर्माण की समीक्षा –

- समीक्षा के क्रम में वर्त्तमान सप्ताह तक कुल 472 निर्माणाधीन गोदाम में से 70 में कार्य प्रारंभ नहीं किया गया तथा 394 निर्माणाधीन पाया गया। निर्माणाधीन गोदाम में 121 ले–आउट, 67 पिलिंथ स्तर पर, 74 लिंटर स्तर पर, 132 छत स्तर पर एवं 5 पूर्ण होने का प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। लखीसराय, सारण, रोहतास, पटना, सीतामढ़ी एवं अररिया में निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने के संबंध में पृच्छा की गई। निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा सभी निर्माणाधीन गोदाम को सितम्बर माह तक पूर्ण कराने का निदेश दिया गया, जिससे आगामी अधिप्राप्ति मौसम में भंडारण क्षमता में वृद्धि हो सके। (अनुपालन–सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी)

10. जिला अंतर्गत पैक्सों के प्रभार हस्तांतरण नहीं होने के संबंध में –

- समीक्षा के क्रम में कुल 82 समितियों में नव निर्वाचित प्रबंधन को प्रभार नहीं सौपने का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। सीतामढ़ी जिला में–11 पैक्स, सारण में –06 पैक्स, पूर्वी चम्पारण – 03 पैक्स एवं मुजफ्फरपुर – 06 पैक्स एवं अन्य जिलों में कई समितियों के प्रभार का हस्तांतरण नहीं पाया गया। इस संबंध में निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा निदेश दिया गया कि जिन जिलों में प्रभार हस्तांतरण संबंधी कार्रवाई नहीं हुई है वहाँ अविलम्ब विधिसम्मत कार्रवाई की जाय। (अनुपालन–सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी)

11. अक्रियाशील पैक्सों को क्रियाशील बनाना –

- समीक्षा के क्रम में कुल 346 पैक्सों का क्रियाशील नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है। औरंगाबाद में –12 पैक्स, बाँका –22, बेगूसराय –35 पैक्स, भोजपुर –18 पैक्स, दरभंगा –35 पैक्स, गया – 29 पैक्स एवं अन्य जिलों में बड़ी संख्या में पैक्स क्रियाशील नहीं पाये गये। निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा इन समितियों को क्रियाशील बनाने हेतु आवश्यक विधिक – प्रशासनिक– प्रसार– व्यवसायिक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। (अनुपालन–सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी)

12. अन्यान्य –

- KCC ऋण से संबंधित समीक्षा के क्रम में विभिन्न केन्द्रीय सहकारी बैंकों का कुल 69468.55 लाख रूपये मांग के विरूद्ध 4222.14 लाख रूपये वसूली की गई है, जो कुल मांग का 6.08 प्रतिशत है। इस संबंध निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा निदेश दिया गया कि एन0पी0ए0 ऋण की वसूली में शाखाओं को संबंधित पैक्स अध्यक्ष एवं सहकारिता प्रसार पदाधिकारी द्वारा आवश्यक सहयोग किया जायेगा। इसके लिए शाखा स्तर पर पैक्स द्वारा डिमांड लिस्ट तैयार करते हुए पैक्स अध्यक्ष एवं सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को भी उपलब्ध कराया जाय। जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा ऋण वसूली की साप्ताहिक समीक्षा की जायेगी। (अनुपालन– जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, जि0के0स0 बैंक)
- निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा निदेश दिया गया कि विभिन्न अनियमितताओं के लिए दर्ज की गई प्राथमिकी के संबंध में अद्यतन स्थिति प्राप्त करते हुए अनुवर्ती कार्रवाई हेतु संबंधित जिला के आरक्षी अधीक्षक को अनुरोध करेंगे तथा कृत कार्रवाई से मुख्यालय को अवगत करायेंगे। (अनुपालन– जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, जि0के0स0 बैंक)
- समीक्षा के क्रम में जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में सभी कार्य ऑन–लाईन संचालित की जा रही है, अतएव कार्य की व्यापकता एवं त्वरित गति से निष्पादन हेतु एक अतिरिक्त कम्प्यूटर सिस्टम ऑपरेटर के साथ उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। साथ ही जिन कार्यालयों में अभी तक कम्प्यूटर सिस्टम और ऑपरेटर की अनुपलब्धता है वहां सिस्टम उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।
- पैक्स सदस्यता हेतु कुल 881909 ऑन–लाईन आवेदन पंजीकृत किया गया है जिसमें कुल 461976 सदस्यों को पैक्स द्वारा स्वीकृत किया गया है। एवं शेष 308296 सदस्यो को समिति द्वारा अस्वीकृत किया गया। पैक्स स्तर पर 15 दिनों से अधिक लम्बित कुल आवेदन 107641 पर नियमानुकूल कार्रवाई करते हुए शीघ्र निष्पादन करने का निदेश दिया गया। (अनुपालन– सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ)
- ई–सहकारी पोर्टल पर पैक्स सदस्यों की विवरणी की प्रविष्टि/अपलोड करने की समीक्षा में पाया गया कि राज्यान्तर्गत कुल 1.20 करोड पैक्स सदस्यों में से केवल 1.24 लाख सदस्यों की विवरणी की प्रविष्टि की गई है। निदेश दिया गया कि सभी पैक्सों को आवश्यक सहयोग करते हुए पैक्स सदस्यों की विवरणी की प्रविष्टि यथाशीघ्र विभागीय पोर्टल पर किया जाय। (अनुपालन– सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी)

अन्त में निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा सधन्यवाद बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

14/7/2022

(बैद्यनाथ यादव)
निबंधक,
सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 5473 पटना/दिनांक– 15/07/2022

प्रतिलिपि :–1. माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।
2. सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सभी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, बिहार को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. योजनाओं से संबंधित मुख्यालय स्तर के सभी नोडल पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।
7. विभागीय IT Manager को इस आशय से कि विभागीय वेवसाईट में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

14/7/22

(संजय कुमार)
जन सम्पर्क पदाधिकारी,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।